UPGK010015612026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

उपस्थितः राज कुमार सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा,

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या- 59/2026,

प्रियंका दूबे पत्नी अजीत पाण्डेय, निवासिनी- रामजानकी नगर बशारतपुर, गोरखपुर, पूर्व निवासिनी- सी.-1483/3 RDSO कॉलोनी मानक नगर, लखनऊ।

पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। प्रतिपक्षी।

निर्णय

वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका प्रियंका दूबे द्वारा अपराध संख्या- 592/2025, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अज्ञात, धारा- 303 (2),317 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- शाहपुर, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में विद्वान अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग), प्रथम/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 के विरूद्ध योजित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त अपराध में चोरी गयी स्कूटी यू0पी0-32-ई.एच.-4814 के अवमुक्ति प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया गया है।

02. पुनरीक्षण से सुसंगत तथ्य यह है कि पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका एक्टीवा स्कूटी यू0पी0-32-ई.एच.-4814 की पंजीकृत स्वामिनी है। आवेदिका की उक्त एक्टीवा दिनांक 14/15.02.2025 को जब अजय कुमार यादव के घर के सामने पार्किंग में खड़ी थी, तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुरा लिया गया। उक्त एक्टीवा चोरी होने के सम्बन्ध में अजय यादव द्वारा प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी थी। आवेदिका की चोरी गयी एक्टीवा स्कूटी को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। आवेदिका के वाहन के सभी प्रपत्र वैध है। आवेदिका एक मात्र स्वामिनी है।

03. पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त वाहन को अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 के द्वारा निरस्त कर दिया

गया, जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

04. पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका द्वारा अपने पुनरीक्षण में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि तथा तथ्यो के प्रतिकूल है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने में विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के अवहेलना करने की भूल कारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर ध्यान दिये सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित करने में भूल की है। पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका की एक्टीवा स्कूटी यू0पी0-32-ई.एच.-4814 दिनांक 14/15.02.2025 को अजय कुमार यादव के घर के बाहर पार्किंग में खड़ी थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी थी, जिसकी प्राथमिकी अजय कुमार यादव द्वारा थाना- शाहपुर में दर्ज करायी गयी थी। पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत रिलीज प्रार्थना-पत्र वैध प्राधिकार से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 को निरस्त करते हुए उक्त वाहन को अवमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

05. मैने पुनरीक्षणार्थिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवम् उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना है एवम् सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया है।

06. पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि के बाध्यकारी प्राविधान एवम् निर्णयज विधियों की अनदेखी करके मनमाना ढंग से प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक एवम् मस्तिष्क का समुचित प्रयोग न करते हुए अवैधानिक एवम् अनियमितितापूर्ण आदेश पारित किया है। प्रश्नगत वाहन सम्बन्धित थाने में खुले आसमान के नीचे लगातार रहने के कारण उक्त वाहन का क्षय एवम् अवमूल्यन होगा तथा पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका उक्त वाहन को न्यायालय द्वारा यथा निर्दिष्ट दिनांक, समय व स्थान पर प्रस्तुत किये जाने की जमानत तथा अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है।

07. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिपूर्ण है और पुनरीक्षण को बलहीन बताते हुए निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

08. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि,"थाने की आख्या के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता का नाम अजय यादव अंकित है, जिसके द्वारा स्थानीय थाने पर वाहन चोरी होने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। जबकि उक्त वाहन को अवमुक्त कराये जाने हेतु

आवेदिका प्रियंका दूबे द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकीर्ण दाण्डिक वाद में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि शिकायतकर्ता अजय यादव के द्वारा प्रश्नगत वाहन के बारे में जो सूचना स्थानीय थाने पर दी गयी है, उसके सम्बन्ध में वाहन का स्वामित्व आवेदिका के पास किस प्रकार से है। प्रार्थना-पत्र अस्पष्ट व विधि व प्रज्ञा के विरूद्ध है। अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण दाण्डिक वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और आवेदिका प्रियंका दूबे द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण दाण्डिक प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया गया है।''

09. इस सम्बन्ध में निर्णयज विधि **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, ए0आई0 आर0 2003 एस.सी. 638 (सुप्रीम कोर्ट)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में वाहन को निरूद्ध रखा जाना उचित नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित है कि वह उक्त वाहन से सम्बन्धित गारण्टी, सिक्योरटी एवम् उपयुक्त बन्धपत्र लेकर वाहन अवमुक्ति का उपयुक्त आदेश पारित करें।

10. एक्टीवा स्कूटी यू0पी0-32-ई.एच.-4814 के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका की ओर से उक्त वाहन से सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण-पत्र दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामिनी पुनरीक्षणार्थिनी/आवेदिका है और पंजीकृत वाहन स्वामी को ही वास्तविक वाहन स्वामी माना जाता है। निश्चित ही वाहन के खुले आसमान के नीचे खड़े रहने पर बरसात व धूप के मौसम के कारण उसके कलपुर्जे एवम् मशीन खराब होने की सम्भावना अत्यधिक है तथा उसके मूल्य में भी ह्रास होना अवश्यंभावी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवम् स्थिति पर विचार किये बगैर आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 पारित किया गया है, जिसमे विधिक स्थिति को विचार में नहीं लिया गया है। इसी प्रकार **विकास कुमार प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2020 (2) जे.आई. सी. 260 (इलाहाबाद)** के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंजीकृत स्वामी के वाहन को पुलिस थाने में निरूद्ध कर रखने से कोई सार्थक कार्य नहीं होगा। ऐसे में माननीय न्यायालय द्वारा मामले को प्रतिप्रेषित करते हुए पुनः इस पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है।

11. अतः उपरोक्त तथ्यों एवम् विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही में तात्विक रूप से अनियमितता होने के कारण इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त होने योग्य है तथा निष्कर्षतः दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या- 59/2026, प्रियंका दूबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 10.02.2026 को अपास्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्णयादेश की प्रति इस दिशा-निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह निर्णय में दिये गये सम्प्रेक्षण एवम् विधिक स्थिति के अनुरूप पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

उभय पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2026 को उपस्थित हो।

दिनांक/गोरखपुर
19 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करने के बाद खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक/गोरखपुर
19 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 16:41:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court